नम्बर /वर्ष 100/2019 28/2023 अनवानी मनीराम बनाम पन्नाराम

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
10/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील सायल उपस्थित गैरसायल की ओर से श्री मेहशचन्द्र अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही होना जाहिर किया हमने उभयपक्षों को सुना वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की न्यायालय हाजा में अनवानी वाद मनीराम बनाम पन्नाराम पूर्व में विचाराधीन था जो बाद सुनवाई दिनांक 30.09.2004 को डिक्री किया गया था जिसकी पालना तहसीलदार नोहर के द्वारा कर दी गई थी। न्यायालय हाजा के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.09.2004 की प्रथम अपील अनवानी पन्नाराम बनाम मनीराम माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 13.10.2017 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय /डिक्री दिनांक 30.09.2004 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया था जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 30.09.2004 की पालना में किया गया अंकन राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा निर्णय निरस्त करने के कारण स्वत ही निरस्त हो गया है अतः निर्णय दिनांक 30.09.2004 की पालना में किये गये अकन का निरस्त कर उससे पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने के आदेश फरमावे। गैरसायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की राजस्व रिकार्ड में निर्णय दिनांक 30.09.2004 जिसे राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने निरस्त किया जा चुका है से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 99/2002 अनवानी मनीराम बनाम पन्नाराम प्रस्तुत किया गया था जो बाद सुनवाई दिनांक 30.09.2004 को निर्णय पारित किया जाकर वाद वादी डिक्री किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.09.2004 की तहसीलदार नोहर के द्वारा पालना की जाकर निर्णय /डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 30.09.2004 की प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अनवानी पन्नाराम बनाम मनीराम प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने सुनवाई उपरान्त दिनांक 13.10.2017 को उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 30.09.2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया था। माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 30.09.2004 निरस्त करने के कारण निर्णय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:51:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिनांक 30.09.2004 की पालना में किया गया अंकन स्वत ही निरस्त हो गया अर्थात राजस्व रिकार्ड में निर्णय दिनांक 30.09.2004 की पालना में किये गये अंकन का निरस्त किया जाकर उससे पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जानी न्यायोचित है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 30.09.2004 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को निरस्त किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 30.09.2004 की पालना में किये गये अंकन से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अेंकन करने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को भिजवाई जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:51:44 IST
Reason: SelfAttested